

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प देवास

**-: आदेश :-**

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी देवास व भू.अ.नि. दादण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जालेऊ तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 107 नया 105 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	जालेऊ  रघु व कल्याण प्रविष्टि प्रथावत	107 नया 105 पुराना	जालूराम पुत्र भौमा हिस्सा 1/235 जाति नायक सा-देह सुरेश कुमार पुत्र शिशुपाल हिस्सा 234/235 जाति बलाई सा-देह	जालूराम पुत्र भौमा हिस्सा 61/235 जाति नायक सा-देह जीवणराम पुत्र भौमा हिस्सा 95/235 जाति नायक नि. जालेऊ सुरेश कुमार पुत्र शिशुपाल हिस्सा पुसाई हिस्सा 34/235 सा. कर्तदपुर अंबरी देवी पत्नी राजेबु पुसाई हि. 45/235 जाति बलाई सा-कर्तदपुर

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :- 2633

प्रतिलिपि:- 14.6.18

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री जालूराम जीवणराम पुत्र भौमा सा. कर्तदपुर सुरेश अंबरी देवी

3. रक्षित पत्रावली। बलाई कर्तदपुर

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

entered 104  
11.6.18

*(Handwritten signature)*